



डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई  
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :-344/2024 अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आरटीएक्ट

किशनलाल पुत्र रुघाराम जाति जाट साकिन चाईया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. रामकुमार पुत्र रुघाराम जाति जाट साकिन चाईया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. शांतीदेवी पत्नी दलीपसिंह जाति जाट साकिन फौफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. राजस्थान राज्य जरीये तहसीलदार राजस्व रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री बलवन्तराम छिम्पा वकील-वादी

श्री दिनेश भादू वकील प्रतिवादी सं. 1 व 2

राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 3

निर्णय दिनांक- 26/7/2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर

के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि:-

1. वादी किशनलाल को चक 7 बी.पी.एस.एम. के प0 न0 210/58 (34) के किला न0 1 की 0.228 है0 दक्षिणी 2 की 0.228 है0 दक्षिणी 3 की 0.228 है0 दक्षिणी 4 की 0.228 है0 दक्षिणी 5 की 0.228 है0 दक्षिणी 6 ता 10 की 1.265 है0 प0 न0 230/2 (33) के किला न0 1 की 0.228 है0 दक्षिणी 2 की 0.228 है0 दक्षिणी 3 ता 15 की 3.289 है0 17 ता 20 की 1.012 है0 व चक 1 सी.वाई.एम.के प0 न0 230/1 (39) के किला न0 25 की 0.253 है0 कुल 7.415 है. भूमि,
2. प्रतिवादी स0 1 रामकुमार को चक 1 सी.वाई.एम. के प0 न0 230/1 (39) के किला न0 6 ता 10 की 1.265 है0 11 की 0.012 है0 पूर्वी 12 ता 19 की 2.024 है0 20 की 0.012 है0 पूर्वी 21 की 0.012 है0 पूर्वी 22 ता 24 की 0.759 है0 कुल 4.084 है. भूमि का,
3. प्रतिवादी स0 2 शांती देवी को चक 7 बी.पी.एस.एम. प0 न0 209/56 (22) के किला न0 3, 4, 7, 14, 17, 24/2 की 1.493 है0 प0 न0 210/49 (32) के किला न0 5 की 0.228 है0 पूर्वी 6 की 0.228 है0 पूर्वी 15 की 0.228 है0 पूर्वी 16 की 0.228 है0 पूर्वी 25 की 0.205 है0 पूर्वी (दक्षिण दिशा में 2 बिस्वा चौडाई की भूमि छोडकर) व चक 1 सी.वाई.एम. के प0 न0 210/57 (38) के किला न0 11 ता 20 की 2.530 है0 21 की 0.251 है0 22 ता 25 की 1.012 है0 प0 न0 230/1 (39) के किला न0 11 की 0.241 है0 पश्चिमी 20 की 0.241 है0 पश्चिमी 21 की 0.241 है0 पश्चिमी कुल 7.126 है0 भूमि की,

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
रावतसर

4. वादी किशनलाल व प्रतिवादी स० 1 रामकुमार को ब हिस्सा बराबर चक 7 बी.पी.एस. एम. के प. न० 210/49 (32) के किला न० 5 की 0.025 है० पश्चिमी 6 की 0.025 है० पश्चिमी 15 की 0.025 है० पश्चिमी 16 की 0.025 है० पश्चिमी 25 की 0.025 है० पश्चिमी व इसी 25 की ही 0.023 है० दक्षिणी व चक 1 सी.वाई.एम. के प० न० 210/57 (38) के किला न० 21 की 0.002 है० दक्षिणी पश्चिमी कोणा चक 7 बी.पी. एस.एम. के प० न० 210/58 के किला नम्बर 1 की 0.025 है० उतरी 2 की 0.025 है० उतरी 3 की 0.025 है० उतरी 4 की 0.025 है० उतरी 5 की 0.025 है० उतरी प० न० 230/2 (33) के किला न० 1 की 0.025 है० उतरी 2 की 0.025 है० उतरी कुल 0.325 भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेगें।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 26/7/2024 को जारी की गई।

(संजय कुमार)  
सहायक मजिस्ट्रेट एवं  
सुपरवाइडर अधिकारी  
द्वारा